

**न्यायालय— मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जबलपुर (M0प्र0)
आदेश**

क्रमांक/वसू/सी.जे.एम./21

जबलपुर, दिनांक 28.06.2021

सार्वजनिक अवकाश के दिनों में 03:00 बजे से 05:00 बजे तक रिमाण्ड कार्य निष्पादित करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है। कॉलम नम्बर दो में दर्शाये गए न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांक पर अपने स्टाम्प सहित दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे तक स्वयं के न्यायालय में उपस्थित होकर सभी न्यायालय के रिमाण्ड कार्य जो उक्त दिनांक को प्रस्तुत किए जावेगे, निष्पादित करें।

क्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	अवकाश दिनांक	क्र	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	अवकाश दिनांक
1	श्रीमती शक्ति वर्मा	04.07.2021	4	सुश्री निधि जैन	18.07.2021
2	सुश्री अकिता गुप्ता	11.07.2021	5	सुश्री वंदना सोनी	21.07.2021
3	श्रीमती मोना शुक्ला पांडे	17.07.2021	6	सुश्री स्वाति राहौरा	25.07.2021

सिहोरा न्यायालय

मजिस्ट्रेट का नाम	अवकाश दिनांक	अवकाश दिनांक
श्री दिनेश कुमार प्रजापति	04.07.2021	25.07.2021
श्रीमती मृणालिनी सिंह	11.07.2021	18.07.2021
श्रीमती सविता ठाकुर	17.07.2021	21.07.2021

पाटन न्यायालय

मजिस्ट्रेट का नाम	अवकाश दिनांक	अवकाश दिनांक	अवकाश दिनांक
सुश्री उर्मिला यादव	04.07.2021	17.07.2021	21.07.2021
श्री आदिल अहमद खान	11.07.2021	18.07.2021	25.07.2021

- यदि किसी कारणवश संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर नियत दिनांक को रिमाण्ड ड्रियूटी करने में असमर्थ रहते हैं और रिमांड ड्रियूटी हेतु आपसी सहमति से परिवर्तित करते हैं, तो दोनों न्यायिक मजिस्ट्रेट को हस्ताक्षरित सूचना समय पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेंगे।
- यदि किसी कारणवश सूची में दर्शित उपरोक्त तिथि में सार्वजनिक अवकाश निरस्त कर उसके स्थान पर अन्य अवकाश तिथि निर्धारित की जाती है तो जिस तिथि को न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्रियूटी थी वह न्यायिक मजिस्ट्रेट घोषित नयी अवकाश तिथि पर रिमांड ड्रियूटी करेंगे।
- यदि किसी कारणवश सूची में दर्शित तिथि के अलावा अन्य सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है तो उस दिनांक को जिला न्यायालय जबलपुर में **श्री अरविंद सिंह टेकाम**, न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर रिमाण्ड कार्य निष्पादित करेंगे, यदि किन्हीं कारणवश श्री अरविंद सिंह टेकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर भी अवकाश पर रहते हैं, तो **श्री अरविंद सिंह**, न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर, रिमाण्ड कार्य निष्पादित करेंगे एवं तहसील पाटन न्यायालय में **श्री आदिल अहमद खान** न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं तहसील सिहोरा न्यायालय में **श्रीमती सविता ठाकुर** न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड कार्य निष्पादित करेंगे।
- यदि उक्त सूची में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो जाने से वे उक्त पद पर जबलपुर में पदस्थ नहीं रहते हैं तो उनके स्थान पर उस दिनांक को जिला न्यायालय जबलपुर में **श्री अरविंद सिंह टेकाम**, न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर रिमाण्ड कार्य निष्पादित करेंगी एवं यदि किन्हीं कारणवश श्री अरविंद सिंह टेकाम न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर भी अवकाश पर रहते हैं, तो **श्री अरविंद सिंह**, न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर, रिमाण्ड कार्य निष्पादित करेंगे एवं तहसील पाटन न्यायालय में **श्री आदिल अहमद खान** न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं तहसील सिहोरा न्यायालय में **श्रीमती सविता ठाकुर** न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड कार्य निष्पादित करेंगी एवं यदि स्थानांतरित न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थान पर अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पद भार ग्रहण करते हैं तो उक्त दिनांक पर उनके द्वारा रिमांड कार्य निष्पादित किया जावेगा।
- रिमांड न्यायालय अपने न्यायालय की रिमाण्ड ड्रियूटी जिस दिनांक को, की जानी है, उसकी सूचना अपने न्यायालय के रिमाण्ड पेनल सूची के अधिवक्ताओं को दें।

(वसूण पुनासे)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

प्रतिलिपि—

- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जबलपुर की ओर सादर सूवनार्थ प्रेषित।
- श्री न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर/सिहोरा/पाटन।
- अध्यक्ष/सचिव जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर एवं जिला अभियोजन अधिकारी जबलपुर।
- जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूवनार्थ प्रेषित।
- जूनियर सिस्टम एनालिसिस जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूवनार्थ प्रेषित।

sell

(वसूण पुनासे)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर